झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में संशोधन हेतु विधेयक

विषय सूची

1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(खख) के बाद अन्तः स्थापन।
3.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ड) में संशोधन।
4.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(चच) में संशोधन।
5.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(छछ) में संशोधन।
6.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(छछछ) में संशोधन।
7.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(छछछछ) में संशोधन।
8.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ण) में संशोधन।
9.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ण) के बाद अन्तः स्थापन।
10.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(प) के बाद अन्तः स्थापन।
11.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(फ) के बाद अन्तःस्थापन।
12.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ब) के बाद अन्तः स्थापन।
13.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–13 (क) की उपधारा–(1) एवं (2) में संशोधन।
14.	अधिनियम 6, 1935 की धारा 14 की उपधारा (2) में संशोधन।
15.	अधिनियम 6, 1935 की धारा 14 की उपधारा (4) का पुर्नसंख्याकन।
16.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–14 की उपधारा–(4) के बाद उपधारा– (4 ख) का अन्त स्थापन।
17.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–14 की उपधारा–(9) में संशोधन।
18.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–14 की उपधारा–(10) में संशोधन।
19.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–27 में संशोधन।
20.	अधिनियम 6, 1935 की अध्याय–4 के बाद अध्याय–4 (क) का अन्तः स्थापन।
21.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–33 में संशोधन।
22.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–33 के बाद 33 (क) का अन्तः स्थापन।
23.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–33 (क) के बाद धारा–33(ख) का अन्तः स्थापन।
24.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–40 की उपधारा–(1) में अन्तः स्थापन।
25.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–41 की उपधारा–(1) में संशोधन।
26.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–41 की उपधारा–(2) में संशोधन।
27.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–41 की उपधारा–(3) में संशोधन।
28.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–41 की उपधारा–(4) में संशोधन।
29.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–42 में संशोधन।
30.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–43 की उपधारा–(1) में संशोधन।
31.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–44 क–ट. में संशोधन।
32.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–44 क–ढ. में संशोधन।
33.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–44 की उपधारा (क–प) में संशोधन।
34.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–44 की उपधारा (क–फ) में संशोधन।
35.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–45 की उपधारा (1), धारा 45 (1) (क), धारा 45 (1) (ख) में संशोधन।
36.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–47 की उपधारा (2) में संशोधन।
37.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–66 (ख) की उपधारा (1) में संशोधन।
38.	अधिनियम 6, 1935 की धारा–66 (ख) की उपधारा (2) में संशोधन।

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक

प्रस्तावनाः–

।- चूँकि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संस्था के रूप में गठन के साथ सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक बेहतरी के लिए सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, सदस्यों के जनतांत्रिक नियंत्रण एवं स्वायत्त कार्यकलाप से समितियाँ अपने सदस्यों के हित में और अधिक सार्थक रुप में कार्य कर सकेंगी;

और चूँकि राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबन्धन को प्रोत्साहित करे एवं उसका उन्नयन करे और इस ओर ऐसे कदम उठाये जिनकी इस उद्देश्य हेतु आवश्यकता हो;

और चूँकि संविधान के सन्तानवें संशोधन अधिनियम, 2011 के आलोक में झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में कई संशोधन आवश्यक है;

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(खख) के बाद अन्तःस्थापन। –झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(खख) के बाद निम्नलिखित उपधारा–(खखख) जोड़ा जायेगा, यथा 2 (खखख)

"सहकारी समिति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित कोई संगठन।

3. अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ङ) में संशोधन ।

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ङ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

2 (ङ) **"बोर्ड"** से अभिप्रेत है निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय अथवा प्रबन्ध समिति, जिस नाम से भी उसे अभिहित किया गया हो, जिसके निदेशन एवं नियंत्रण में सहकारी समिति के कामकाज का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

4. अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(चच) में संशोधन। –झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(चच) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

"बहुधंधी सहकारी सोसाईटी" से अभिप्रेत है, वह प्राथमिक सोसाईटी, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को विविध प्रकार की सेवाओं, जिसका संबंध साख (क्रेडिट), व्यवसाय, उद्योग, टिकाउ उपभोक्ता सामग्री से है, प्रदान करने के लिए किया गया हो।

5. अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(छछ) में संशोधन– झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(छछ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः– **"पदधारी"** से अभिप्रेत है सहकारी समिति के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष तथा किसी सहकारी समिति के बोर्ड में निर्वाचित कोई व्यक्ति ।

6. अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(छछछ) में संशोधन– झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(छछछ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

"प्राथमिक सोसाईटी" से अभिप्रेत है, वैसी निबंधित सोसाईटी, जिसका सदस्य सिर्फ व्यक्ति अथवा स्वयं सहायता समूह हो।

7. अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(छछछछ) में संशोधन– झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(छछछछ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

"प्राथमिक कृषि साख (क्रेडिट) सोसाईटी" से अभिप्रेत है, ऐसी सोसाईटी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य या मूल कर्तव्य अपने सदस्यों को कृषि अथवा कृषि से संबंधित प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना (फसलों का विपणन एवं बहुधंधी सहकारी सोसाईटी भी शामिल है)

8. अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ण) में संशोधन– झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ण) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः– "केन्द्रीय समिति" से अभिप्रेत है, ऐसी सहकारी समिति, जो कि 'फेडरेशन' एवं 'यूनियन' से भिन्न हो तथा ऐसी समिति, जिसके सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो तथा उपविधियाँ में यदि प्रावधान हो तो, कोई व्यक्ति भी सदस्य हो सकता है।

9. अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ण) के बाद अन्तःस्थापन। –झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ण) के बाद निम्नलिखित उपधारा–(प) जोड़ा जायेगा, यथा 2 (प) **"सामान्य निकाय"** से अभिप्रेत है उस सहकारी समिति के सम्मिलित रुप से सभी सदस्य अथवा सभी सदस्यों के प्रतिनिधि।

10. अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(प) के बाद अन्तःस्थापन। –झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(प) के बाद उपधारा (फ) जोड़ा जायेगा,

यथा : **"प्राधिकृत व्यक्ति"** से अभिप्रेत है झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम–1935 की धारा–45(1) में इसी रूप में निदेशित व्यक्ति।

11. अधिनियम 6, 1935 की धारा 2 की उपधारा (फ) के बाद अन्तःस्थापन। –झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(फ) के बाद उपधारा (ब) जोडा जायेगा, यथा : **"राज्य स्तरीय सहकारी समिति "** से अभिप्रेत है, ऐसी सहकारी समिति जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य में विस्तारित हो और झारखण्ड सहकारी अधिनियम–1935 में इस रूप में परिभाषित किया गया हो।

12. अधिनियम 6, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ब) के बाद अन्तःस्थापन। –झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–2 की उपधारा–(ब) के बाद उपधारा (भ) जोडा जायेगा, यथा **"क्रियाशील निदेशक"** से अभिप्रेत है नियमावली अथवा सहकारी समिति के उपविधियों में विर्निदिष्ट समिति के क्रियाशील कार्यपालक निदेशक।

13. अधिनियम 6, 1935 की धारा–13 (क) की उपधारा–(1) एवं (2) में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–13 (क) की उपधारा–(1) एवं (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:–

(1) राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक हिस्सेदारी एवं व्यावसायिक प्रबन्धन को प्रोत्साहित करे एवं उसका उन्नयन करे और इस ओर ऐसे कदम उठाये जिनकी आवश्यकता हो;

(2) उपधारा–(1) के प्रावधानों के तहत सहकारी समिति के प्रोत्साहन एवं उन्नयन हेतु राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो:–

(क) किसी सामान्य या विशेष श्रेणी की सहकारी समिति के विकास में सहायता के लिए सहकारी समिति की हिस्सा पूँजी में अंशदान दे सकेगी;

(ख) किसी सहकारी समिति की हिस्सा पूँजी के निर्माण एवं सम्बर्द्धन के लिए सहायता कर सकेगी;

(ग) सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दे सकेगी या सहकारी समिति के द्वारा निर्गत ऋण–पत्र पर मूल के पुनर्भुगतान और सूद के भुगतान की गारंटी ले सकेगी या किसी सहकारी समिति को दिये गये ऋण या अग्रिम के मूल के पुनर्भुगतान और सूद के भुगतान की गारंटी ले सकेगी।

14. अधिनियम 6, 1935 की धारा 14 की उपधारा (2) में संशोधन – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा : इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सहकारी समिति नियमावली / उपविधियों और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निमित प्रबंध समिति में निबंधित समिति का प्रबधन होगा।

इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति के उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सहकारी समिति के निदेशकों / बोर्ड की अधिकतम संख्या 21 (इक्कीस) से अधिक नहीं होगी।

परन्तु और भी कि प्रत्येक सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। उस 50 प्रतिशत आरक्षित स्थान में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए दो स्थान वैसी समितियों में आरक्षित होंगे, जिन समितयों में उक्त वर्ग या कोटि से सदस्य होंगे। इस प्रकार से आरक्षित स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला का पद निर्वाचन या / और सहयोजन द्वारा भरे जायेंगे।

इस अधिनियम के प्रावधान सभी समितियों यथा : प्राथमिक से शीर्ष सहकारी समितियों तक लागू किया जायेगा।

परन्तु और कि प्राथमिक समिति तथा शीर्ष समिति तक ऐसे आरक्षण की व्यवस्था इस उद्देश्य हेतु इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमावली द्वारा परिचालित होंगे।

15. अधिनियम 6, 1935 की धारा 14 की उपधारा (4) का पुर्नसंख्याकन। -- झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 की उपधारा 4 उपधारा 4(I) के रुप में पुर्नसंख्यांकित की जायेगी।

16. अधिनियम 6, 1935 की धारा–14 की उपधारा–(4) के बाद उपधारा– (4 ख) का अन्तःस्थापन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–14 की उपधारा–(4)के बाद उपधारा– (4 ख) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगीः–

इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समिति के बोर्ड में बैंकिंग, प्रबन्धन, वित्त अथवा समिति के उद्देश्यों और कार्यकलाप के अनुरुप दूसरे क्षेत्रों के विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सदस्य के रुप में समिति द्वारा सहयोजित किया जायेगा

परन्तु इस प्रकार सहयोजित सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी और ये उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बोर्ड के अधिकतम संख्या से अतिरिक्त होगा

परन्तु और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में ऐसी सदस्यता के तहत् मत देने का अधिकार नहीं होगा और न वे बोर्ड मे पदधारी के रुप में निर्वाचित हो सकेंगे

परन्तु और कि सहकारी समिति के क्रियाशील निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों की गणना उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बोर्ड के अधिकतम संख्या में नहीं की जायेगी।

17. अधिनियम 6, 1935 की धारा–14 की उपधारा–(9) में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–14 की उपधारा–(9) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:–

इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, बोर्ड का चुनाव बर्हिगामी बोर्ड के पदावधि समाप्ति तिथि से पूर्व किया जायेगा, ताकि नये बोर्ड बर्हिगामी बोर्ड के पदावधि समाप्ति के उपरांत पदभार ग्रहण कर सके।

सहकारी समिति का अधीक्षण, निदेशन और मतदाता सूची को तैयार कराने का संचालन, मतदान कराना आदि जिम्मेवारी इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों द्वारा विर्निदिष्ट व्यक्ति / अथॉरिटी में सन्निहित होगी।

इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति के नियमों या उपविधियों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, किसी सहकारी समिति की बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से पाँच वर्षो की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड के पदावधि का सह–अन्तक होगा।

परन्तु कि बोर्ड में किसी कारणवश हुई रिक्ति को बोर्ड द्वारा उन्ही वर्ग के सदस्यों से मनोनयन द्वारा भरा जायेगा, जिन से संबंधित आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई हो, यदि बोर्ड के मूल पदावधि से आधे से कम की पदावधि बाकी हो।

परन्तु और कि किसी सहकारी समिति के निर्वाचित बोर्ड में यदि मूल पदावधि से आधे से अधिक की पदावधि बाकी हो, और बोर्ड में किसी कारणवश निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का पद रिक्त हो जाय, तो शेष अवधि के लिए सहकारी समिति द्वारा विशेष आम सभा द्वारा उपनिर्वाचन से रिक्ति को भरा जायेगा।

18. अधिनियम 6, 1935 की धारा–14 की उपधारा–(10) में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–14 की उपधारा–(10) निरस्त की जाएगी।

19. अधिनियम 6, 1935 की धारा–27 में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–27 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:–

(1) सहकारी समिति का कोई भी सदस्य नियमों या समिति की उपविधि में विहित सदस्यता विषयक अदायगी कर देने के बाद समिति के सदस्य के अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे

परन्तु यह कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी किसी सहकारी समिति का सदस्य नियमावली अथवा उपविधियों में विहित सहकारी समिति के प्रबंधन में सहभागिता हेतु बुलाई गई बैठकों में आवश्यकता के अनुरुप न्यूनतम उपस्थिति तथा समिति द्वारा प्रदत्त सेवाओं के न्यूनतम स्तर तक उपयोग के बाद ही सदस्य के अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति अपने प्रत्येक सदस्यों के लिए उनसे संबंधित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित संव्यवहारों के लेखाओं के संबंध में सभी जानकारी/कागजात सुगम करायेगी।

(3) सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह सहकारी समिति में संधारित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित संव्यवहारों के लेखाओं के संबंध में सभी जानकारी/कागजात प्राप्त कर सकेंगे। सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक/प्रबंधक सदस्य को सभी वांछित जानकारी/कागजात सुगम करायेंगे।

(4) सहकारी समिति के सदस्यों को इस अधिनियम, इसके अधीन बनी नियमावली तथा उपविधियों में विहित प्रावधानों के तहत् सहकारी शिक्षा तथा सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

20. अधिनियम 6, 1935 की अध्याय–4 के बाद अध्याय–4 (क) का अन्तःस्थापनः–झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अध्याय–4 के बाद अध्याय–4 (क) जोड़ी जायेगी यथाः–

सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा तथा वार्षिक विवरणियाँ

32.(क) वार्षिक आम सभा :–

(1) प्रत्येक सहकारी समिति का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छह माह के भीतर वार्षिक आम सभा बुलायेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर, अधोलिखित सभी अथवा किसी विषय वस्तु पर विचार से किया जायेगा :–

(क) निबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा वार्षिक विवरणियों पर विचार

(ख) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार

(ग) सांविधिक अंकेक्षकों एवं आन्तरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं हटाया जाना

(घ) अंकेक्षण का रिपोर्ट और निबन्धक को दाखिल किये जाने के लिए अंकेक्षित विवरण पर विचार

(ड़) अंकेक्षण/विशेष अंकेक्षण के अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार

(च) धारा–39 के अधीन जाँच प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन यदि कोई हो

(छ) शुद्ध अधिशेष का निपटान

(ज) संचालन घाटा, यदि कोई हो, का पुनर्विलोकन

(झ) दीर्घकालीन महत्व की योजना और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन

(ञ) वार्षिक बजट का अनुमोदन

(ट) विनिर्दिष्ट आरक्षित निधि एवं अन्य निधियों का सृजन

(ठ) आरक्षित एवं अन्य निधियों की वास्तविक उपयोगिता का पुनर्विलोकन

(ड) अन्य सहकारी समितियों में सहकारी समिति की सदस्यता के संबंध में प्रतिवेदन;

(ढ) सदस्यता के लिए जिस व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो अथवा जिसकी सदस्यता बोर्ड द्वारा समाप्त कर दी गई हो, उसकी अपील

(ण) किसी निदेशक, अंकेक्षक या आन्तरिक अंकेक्षक को उस हैसियत से अपने कर्त्तव्य के लिए अथवा संबंधित बैठकों में उसकी उपस्थिति के लिए देय पारिश्रमिक

(त) संघ/परिसंघ में सहकारी समिति की सदस्यता

(थ) अन्य संगठनों के साथ सहयोग

(द) उपविधियों का संशोधन

(ध) निदेशकों एवं पदधारियों के लिए आचार संहिता बनाना

(न) सदस्यों को सम्मिलित किये जाने एवं सदस्यता समाप्त किये जाने संबंधी टिप्पणी

(प) सहकारी समिति का विघटन

(फ) ऐसे अन्य कृत्य, जो उपविधियाँ में विनिर्दिष्ट हों।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत उपधारा (2) में विहित कार्यो के लिए सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा उपविधियों के अनुसार अधिसूचित समय, तिथि तथा स्थान पर होगी और यदि गणपूर्त्ति (कोरम) हो जायेगी तो सभा का सभापतित्व सहकारी समिति के अध्यक्ष करेंगे

परन्तु कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों के द्वारा उन्ही में से निर्वाचित कोई व्यक्ति सभा का सभापतित्व करेंगे

परन्तु और कि यदि किसी समिति का बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अवक्रमित हो गयी हो, तो वहाँ प्रशासक आम सभा का सभापतित्व करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति सभा का सभापति होंगे।

(3) आम सभा का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति सभा की कार्यवाही का संचालन इस प्रकार करेंगे कि कारबार का निस्तार शीघ्रातिशीघ्र तथा संतोषजनक होंगे और वे सभा में व्यवस्था संबंधी सभी बिन्दुओं पर निर्णय लेंगे।

(4) आम सभा की सूचना निर्गत होने की तिथि को समिति की जो कुल सदस्य संख्या होगी उसका पंचमांश आम सभा के लिए गणपूर्त्ति (कोरम) होगा।

(5) यदि आम सभा के लिए निर्धारित समय से एक घंटा के भीतर गणपूर्त्ति न हो सके तो सभा ऐसी तिथि तक के लिए स्थगित कर दी जायेगी ज़ो सात दिन से पूर्व और इक्कीस दिन के बाद नहीं होगी।

(6) स्थगित आम सभा के लिए किसी गणपूर्त्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) आम सभा में सभी प्रश्नों का निर्णय बहुमत से किया जायेगा और मतों की समता की स्थिति में सभा के सभापति निर्णायक मत देंगे।

(8) परोक्षी मत स्वीकृत नहीं किया जायेगा, किन्तु किसी विशिष्ट सहकारी समिति अथवा सहकारी समिति के वर्ग के मामले में निबन्धक ऐसा करने की अनुमति दे सकेंगे।

(9) आम सभा में हाथ उठाकर मतदान किया जायेगा और केवल आपवादिक मामले में, यदि निबन्धक स्वेच्छा अथवा संबंधित समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निदेश दे तो, मतपत्रों के माध्यम से मतदान किया जायेगा।

(10) आम सभा की कार्यवाहियों का वृत उसी प्रयोजन के लिए रखी गई एक वही में अभिलिखित किया जायेगा और सभा का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति उस वृत पर हस्ताक्षर करेंगे।

(11) आम सभा में अपनायी गई प्रक्रिया संबंधी किसी आपत्ति की अपील निबन्धक के पास की जायेगी और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।

(32) (ख) वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करना – प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर निबन्धक के समक्ष वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करेगी जिसमें निम्नलिखित विषयवस्तु सन्निहित रहेंगे :–

(क) कार्यकलाप की वार्षिक रिपोर्ट,

(ख) लेखाओं का अंकेक्षित विवरण,

(ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिशेष निपटाव हेतु योजना,

(घ) सहकारी समिति की उपविधियों में किये गये संशोधनों की सूची, यदि कोई हो,

(ड़) सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख तथा निर्वाचन का संचालन जब देय हो, से संबंधित घोषणा, तथा

(च) निबन्धक द्वारा संसूचित अधिनियम के किसी प्रावधानों के पालन हेतु आवश्यक, कोई अन्य सूचना।

21. अधिनियम 6, 1935 की धारा–33 में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–33 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी:–

अंकेक्षण :–

(1) सहकारी समिति अपने लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक द्वारा कराएगी। ऐसा अंकेक्षक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949

के अर्थान्तर्गत या तो चाटर्ड एकाउन्टेन्ट होगा या निबन्धक के कार्यालय का अंकेक्षक होगा।

(2) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव का निर्धारण समय–समय पर किया जाएगा। केवल ऐसे अंकेक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म ही सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु योग्य होंगे।

(3) प्रत्येक सहकारी समिति के लेख्राओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त उपधारा (2) में सन्दर्भित अंकेक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा की जायेगी।

(4) प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिस वित्तीय वर्ष से ऐसा लेखा संबंधित हो।

(5) शीर्ष सहकारी समिति के द्वारा अपने लेखाओं के अंकेक्षण के उपरान्त अंकेक्षक का प्रतिवेदन समिति के सामान्य निकाय के अनुमोदनोपरान्त तीस दिनों के भीतर निबन्धक को अनिवार्य रुप से प्रेषित किया जायेगा ताकि उक्त रिपोर्ट को राज्य सरकार के माध्यम से राज्य सस्कार द्वारा विहित की गई प्रक्रिया के तहत् विधान मण्डल के पटल पर रखा जा सके।

(6) यह सुनिश्चित करना सहकारी समिति के बोर्ड का कर्त्तव्य होगा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर वार्षिक वित्तीय विवरणी को तैयार करके अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत कर दिया जाय।

(7) अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा किया जायेगा, जो निबंधक द्वारा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क के आधार पर होगा।

परन्तु यदि अंकेक्षण, निबन्धक के कार्यालय के अंकेक्षक द्वारा किया जाता है तो निबन्धक द्वारा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क का भुगतान सहकारी समिति द्वारा किया जायेगा।

(8) किसी सहकारी समिति के अंकेक्षक की मांग पर, सहकारी समिति के वर्त्तमान या पूर्व पदधारी, बोर्ड के सदस्य, सदस्य या कर्मचारी:–

(क) ऐसी सूचना और ऐसा स्पष्टीकरण देंगे, जैसा कि आवश्यक समझा जाय, तथा

(ख) सहकारी समिति के प्रत्येक ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों, बहियों, लेखाओं और भाउचरों को देखने देंगे, जो अंकेक्षक की राय में जाँच करने और प्रतिवेदन तैयार करने में उसे समर्थ होने के लिए आवश्यक हो।

(9) जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहाँ के लिए नियत तारीख से नब्बे दिनों के भीतर निबन्धक, सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करायेंगे।

(10) अंकेक्षण करने का खर्च सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

22. अधिनियम 6, 1935 की धारा–33 के बाद 33 (क) का अन्तःस्थापन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–33 के बाद धारा–33 (क) निम्नलिखित रूप में जोड़ी जायेगीः–

33.(क) विशेष अंकेक्षण :–

(1) राज्य सरकार या अन्य सहकारी समिति या अन्य संस्थाओं या अन्य वाह्य व्यक्ति से निधियों का संव्यवहार करने वाले किसी सहकारी समिति का विशेष अंकेक्षण ऐसे ऋणदाताओं के अनुरोध पर या स्वेच्छा से निबन्धक द्वारा, ऐसे विनिर्दिष्ट आदेश/निर्देश के तहत जैसा कि निबन्धक द्वारा कारणों सहित अभिलिखित किया जाय, शुरू की जा सकेगी।

(2) उपधारा– (1) के अधीन विशेष अंकक्षण निबन्धक के अधीन पदस्थापित जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/वरीय स्तर के अंकेक्षण पदाधिकारी या ऐसे पदाधिकारियों की गठित कमिटी द्वारा किया जायेगा।

(3) जहाँ विशेष अंकेक्षण में गम्भीर कुप्रबन्ध का पता चले, वहाँ ऐसे विशेष अंकेक्षण का शुल्क, जो ऐसे विशेष अंकेक्षण के लिए निबन्धक द्वारा विनिर्धारित हो, सहकारी समिति से या कुप्रबन्ध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूल किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक विशेष अंकेक्षण निबन्धक द्वारा आदेश निर्गत की तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(5) ऐसे विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट रहेगाः–

(क) प्रत्येक संव्यवहार जो अंकेक्षक को अधिनियम, अथवा अधिनियम के अधीन बनी नियमावली अथवा सहकारी समिति की उपविधियों के प्रतिकूल प्रतीत हो,

(ख) किसी घाटा अथवा क्षति की राशि जो किसी व्यक्ति की आपराधिक उपेक्षा अथवा कदाचार के कारण उपगत हुई प्रतीत हो,

(ग) वैसी कोई धनराशि जो किसी व्यक्ति को लेखा–जोखा में लानी चाहिये थी किन्तु नहीं लाई गई, एवं

(घ) सहकारी समिति का कोई धन अथवा सम्पत्ति जिसे सहकारी समिति के संगठन अथवा प्रबंध में भाग लेने वाला किसी व्यक्ति अथवा सहकारी समिति के किसी भूतपूर्व अथवा वर्त्तमान सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने दुर्विनियोग किया है अथवा छल से रख लिया है।

(6) विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर निबन्धक इसकी प्रतियाँः–

(क) आवेदक ऋणदाता

(ख) सम्बन्धित सहकारी समिति, और

(ग) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ धारा–40 के तहत अधिशुल्क की कार्यवाही का प्रस्ताव दाखिल करने हेतु अधिकृत अंकेक्षण पदाधिकारी को सम्प्रेषित करेंगे।

23. अधिनियम 6, 1935 की धारा–33 (क) के बाद धारा–33 (ख) का अन्तस्थापन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–33 (क) के बाद धारा–33 (ख) निम्नलिखित रूप में जोड़ी जायेगीः–

33.(ख) लेखाओं तथा अभिलेखों का संधारण :–

(1) प्रत्येक सहकारी समिति अपने निबंधित कार्यालय में निम्नलिखित लेखाओं और अभिलेखों को रखेगी :–

(क) समय–समय पर किए गए संशोधन सहित इस अधिनियम की एक प्रति

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक

(ग) निबंधन प्रमाण–पत्र तथा निबंधित उपविधियों की एक प्रति और संशोधन की तारीख सहित समय–समय पर निबंधित संशोधनों की एक प्रति

(घ) ऐसे संघ/परिसंघ जिसका यह सदस्य हो, की तथा अपने सदस्य सहकारी समिति की अभिप्रमाणित उपविधियों की एक–एक प्रति

(ड.) सहकारी समिति द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी धनराशि, उनके प्रयोजनों सहित, का लेखा

(च) सहकारी समिति द्वारा सामानों की सभी खरीद–बिक्री का लेखा

(छ) सहकारी समिति की सम्पत्तियों तथा दायित्वों का लेखा

(ज) कुल सदस्यता तथा विभिन्न सेवाओं का सदस्यवार उपयोग प्रदर्शित करने वाली पंजी

(झ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर अद्यतन की गई चालू वित्त वर्ष के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों की सूची

(ञ) बोर्ड नीतियों की प्रतियाँ

(ट) वार्षिक रिपोर्ट, अंकेक्षण प्रतिवेदन, विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन, जाँच प्रतिवेदन और उनका अनुपालन

(ठ) अन्य विधियों तथा विनियमों की प्रतियाँ, जिनके अध्यधीन सहकारी समिति हो

(ड) ऐसे अन्य दस्तावेज जो सहकारी समिति के कृत्यों से सुसंगत हो, परन्तु यह कि जहाँ सहकारी समिति के शाखा–कार्यालय है वहाँ शाखा–कार्यालयों संबंधी लेखा एवं अभिलेख,

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पचीस दिनों के अंदर किसी अवधि के लिए निबंधित कार्यालय में उपलब्ध रहेगा

(ढ) नाबार्ड, रिजर्व बैंक तथा निबन्धक द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/प्रावधानों के तहत आवश्यक अन्य सभी दस्तावेज तथा पंजियाँ परिपत्र आदि।

(2) समर्थकारी अभिलेखों तथा भाउचरों सहित, प्रत्येक सहकारी समिति की लेखा पुस्तकें ऐसी अवधि के लिए परिरक्षित की जायेगी, जैसी कि तत्समय प्रवृत्त किन्ही विधियों के अध्यधीन उपविधियों में उपबंधित की जाय।

24. अधिनियम 6, 1935 की धारा 40 की उपधारा (1) में अन्तःस्थापन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 40 की उपधारा (1) के प्रथम पंक्ति में निम्नलिखित शब्द जोड़ा जायेगा :– शब्द यदि धारा 33 के अधीन अंकेक्षण के बाद शब्द तथा धारा 33 (क) के अधीन विशेष अंकेक्षण।

25. अधिनियम 6, 1935 की धारा 41 की उपधारा (1) में संशोधन। –झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 41 की उपधारा (1) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

41. बोर्ड का अधिक्रमणः– (1) इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी किसी सहकारी समिति का बोर्ड छः माह से अधिक अवधि के लिए अवक्रमित नहीं रहेगा।

परन्तु यदि निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति का बोर्ड जिस सहकारी समिति में राज्य सरकार का उसके हिस्सा पूँजी में अंशदान हो अथवा राज्य सरकार द्वारा ऋण अथवा वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई हो अथवा ऋण के लिए कोई गारंटी दी गई हो,

i. यदि वह समिति लगातार ऋण अदायगी में चूक की हो,

ii. इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की हो,

iii. सहकारी समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल कार्य की हो,

iv. बोर्ड के गठन अथवा कार्यकलाप में गतिरोध हो,

v. प्राधिकार या निकाय जैसा कि अधिनियम/नियम/नियमावली में प्रावधानित है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्वाचन के संचालन में विफल हुआ हो,

तो उस सहकारी समिति के बोर्ड को अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात कारणों सहित लिखित आदेश द्वारा सहकारी समिति के बोर्ड को अधिकतम छः माह के लिए अधिक्रमित कर सकेंगे और आदेश दे सकेंगे कि इसके सभी अथवा कोई सदस्य आदेश में विहित कालावधि पाँच वर्ष से अनधिक तक के लिए सहकारी समिति के बोर्ड में निर्वाचन के लिए अयोग्य होंगे। निबन्धक इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश को अभिलिखित करेंगे और निबंधित डाक से संबंधित सहकारी समिति को सूचित करेंगे।

परन्तु कि, ऐसी सहकारी समिति के मामले में जो बैंकिंग का कारोबार कर रही हो, बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे;

परन्तु और कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली ऐसी सहकारी समिति के मामले में बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि अधिकतम एक वर्ष की होगी।

परन्तु और कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली सहकारी समिति के बोर्ड का अधिक्रमण रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा।

किसी सहकारी समिति के बोर्ड के अवक्रमित होने की स्थिति में निबंधक द्वारा नियुक्त प्रशासक समिति का निर्वाचन कराने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। यह व्यवस्था पूर्णतः अन्तरिम व्यवस्था होगी और प्रशासक, निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन के उपरान्त नये बोर्ड को समिति का प्रबन्धन सौप देगा।

परन्तु कि जहाँ राज्य सरकार द्वारा हिस्सापूंजी अथवा ऋण अथवा वित्तीय सहायता अथवा किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी गई हो और जहाँ सहकारी समिति का बोर्ड कालावधि के पूर्व निर्वाचन संचालित करने में असफल रहता है, तो सहकारी समिति के निबन्धक निर्वाचन कराने हेतु एक तदर्थ बोर्ड की नियुक्ति के लिए संयुक्त रुप से सदस्यों की एक विशेष आम सभा आयोजित करने का आदेश दे सकेंगे।

परन्तु निर्वाचन कराने हेतु तदर्थ समिति में वर्हिगामी बोर्ड के सदस्य अथवा पदधारी सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

परन्तु और कि इस प्रकार नियुक्त तदर्थ बोर्ड की अवधि छः माह से अधिक की नहीं होगी, और तदर्थ बोर्ड समिति को निर्वाचन के संचालन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यह व्यवस्था पूर्णतः अंतरिम व्यवस्था होगी और इस प्रकार नियुक्त तदर्थ बोर्ड, निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन के उपरान्त नये बोर्ड को समिति का प्रबन्धन सौप देगा।

26. अधिनियम 6, 1935 की धारा 41 की उपधारा –(2) में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा –41 की उपधारा (2) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

41(2) जहाँ उपधारा– 1 के तहत कार्यवाही करते समय निबन्धक की राय में निबंधित समिति के हित में बोर्ड का निलंबन आवश्यक हो, तो वे बोर्ड को निलम्बित कर सकेंगे, जो उसके बाद कार्य करना बन्द कर देंगी और उपधारा –1(क) की कार्यवाही के समाप्ति तक निबंधित समिति के कार्यकलाप के प्रबंधन के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे, जो वे उचित समझें। परन्तु कि यदि इस प्रकार निलम्बित बोर्ड अधिक्रमित नहीं होती है, तो छह माह के उपरान्त कार्य करने लगेगी और निलंबन में रहने की अवधि की गणना उसके पदावधि में की जायेगी।

27. अधिनियम 6, 1935 की धारा 41 की उपधारा (3) में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 41 की उपधारा (3) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

(3) जब कोई सहकारी समिति उपधारा–(1) के तहत अधिक्रमित की जायेगी तो निबन्धक सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करेंगे। नियुक्त प्रशासक उपधारा–(1) के तहत विनिर्धारित अवधि के भीतर सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन हेतु सभी आवश्यक उपाय करेंगे तथा निर्वाचित बोर्ड को समिति के प्रबंध का कार्यभार सौंप देंगे।

परन्तु यह कि अधिक्रमण की अवधि में प्रशासक को बदलने की शक्ति निबन्धक में होगी।

28. अधिनियम 6, 1935 की धारा 41 की उपधारा (4) में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 41 की उपधारा (4) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

(4) उपधारा–(3) के तहत नियुक्त प्रशासक को सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए निबन्धक द्वारा ऐसा पारिश्रमिक निर्धारित किया जायेगा जो वह उचित समझें। निर्धारित पारिश्रमिक सहकारी समिति के खाते से भुगतेय होगा।

परन्तु कि उपधारा–(3) के तहत नियुक्त प्रशासक, निबन्धक द्वारा निर्मित सेवा शर्त्तों के अध्यधीन कार्य करेंगें तथा इस अधिनियम, नियमावली एवं समिति की उपविधियों में बोर्ड को प्रदत्त सभी कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का निवर्हन करेंगे।

29. अधिनियम 6, 1935 की धारा 42 में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 42 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

42. सहकारी समिति का विघटनः– अधिसूचना जारी करके निबन्धक किसी सहकारी समिति को विघटित करने का आदेश दे सकेंगे यदिः–

(क) कोई सहकारी समिति अपने विद्यमान कुल सदस्यों की संख्या के तीन–चौथाई सदस्यों की सहमति से पारित विशेष संकल्प द्वारा समिति के विघटन हेतु अनुरोध करें;

(ख) धारा–35 के अधीन जाँच अथवा धारा–34, धारा–36 अथवा धारा–37 के अधीन निरीक्षण के बाद यदि निबन्धक का ऐसा मत हो कि सदस्यों के हित में उस सहकारी समिति का विघटन आवश्यक है;

(ग) निबंधन के उपरान्त सहकारी समिति द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया है अथवा कार्य करना बन्द कर दिया गया है;

(घ) निबंधन की शर्त्तों के प्रतिकूल सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या कम होकर दस से कम हो गई हो;

परन्तु ऐसा आदेश सहकारी समिति के हिस्साधारक सदस्यों तथा हितबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को कम से कम एक माह का नोटिस देकर उन्हें सुनने के पश्चात् ही पारित किया जायेगा।

30. अधिनियम 6, 1935 की धारा 43 कि उपधारा (1) में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 43 कि उपधारा (1) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

43 (1) विघटन आदेश के विरुद्ध अपीलः– उस सहकारी समिति का कोई सदस्य अथवा हितबद्ध व्यक्ति/संस्था शासकीय राजपत्र में उस आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से दो माह के भीतर उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा।

31. अधिनियम 6, 1935 की धारा– 44 क–ट. में संशोधन। –झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा– 44 क–ट. निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

विभाजन, समामेलन, संविलियन, समझौता आदि :– (1) किसी सहकारी बैंक के बारे में समझौता या व्यवस्था या उसके समामेलन या संविलियन या पुनर्निर्माण अथवा उसकी आस्तियों और दायित्वों के विभाजन या अंतरण की कोई स्कीम मंजूर करने के आदेश, रिजर्व बैंक की पूर्वलिखित मंजूरी के बिना न दिया जाएगा।

(2) जहाँ केन्द्रीय सरकार ने किसी सहकारिता बैंक के संबंध में, बैंककारी विनियमन अधिनियम (बैंकिंग रेगुलेशन्स ऐक्ट), 1949 (10, 1949) की धारा 45 की उप–धारा (2) की अधीन अधिस्थगन–आदेश दिया हो, वहाँ निबंधक रिजर्व बैंक के पूर्वलिखित अनुमोदन से अधिस्थगन की अवधि में निम्नलिखित स्कीम तैयार कर सकेगा :–

(i) सहकारिता बैंके के पुनर्निर्माण के लिए, या

(ii) सहकारी बैंक का संविलियन

(iii) किसी अन्य सहकारिता बैंक (इसमें आगे "अंतरिती/संवियलित बैंक" के रूप में निर्दिष्ट) के साथ उसके समामेलन के लिए।

(3) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, यदि कोई सहकारिता बैंक, जो निक्षेप–बीमा निगम अधिनियम (डिपोजिट इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ऐक्ट) 1961 (47,1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, समामेलित किया जाय या संवियलित या जिसके संबंध में समझौता या व्यवस्था अथवा पुनर्निर्माण की कोई स्कीम मंजूर की गयी हो और निक्षेप–बीमा निगम, उस अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को भुगतान करने का भागी हो गया हो, तो ऐसा बीमाकृत बैंक जिस बैंक के साथ समामेकित किया गया हो वह बैंक या संवियलित अथवा ऐसे समामेलन या संवियलित

के बाद गठित नया सहकारिता बैंक अथवा, यथास्थिति, बीमाकृत या अंतरिती/संवियलित बैंक, उस अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सीमा तक और रीति से, निक्षेप बीमा निगम को प्रतिसंदत्त करने की मध्यता के अधीन होगा।

32. अधिनियम 6, 1935 की धारा– 44 क–ढ़ में संशोधन। –झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा– 44 क–ढ़. निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:–

निक्षेप बीमा निगम का प्रतिदान (वापसी) :– जहाँ कोई सहकारी बैंक निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (47,1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक होने के नाते परिसमाप्त हो जाय या समापनाधीन कर लिया जाय और निक्षेप बीमा निगम उस अनिधनियम की धारा 16 की उप–धारा (1) के अधीन परिसमापक वैधानिक रूप से बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को भुगतान (रकम वापसी) करने की दायी हो जाए तो, निक्षेप बीमा निगम को उस अधिनियम की धारा 21 में उपबंधित सीमा तक और रीति से प्रतिदान (रकम वापसी) की जाएगी।

33. अधिनियम 6, 1935 की धारा 44 की उपधारा (क–प), में संशोधन – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 44 की उपधारा (क–प) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

अध्याय 10–ग का अध्यारोही प्रभाव इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली या निबंधित समिति की उपविधियाँ या किसी अध्याय के उपबंध के अन्तर्गत निर्गत कोई आदेश में किसी प्रतिकूल या असंगत बात होने पर भी इस अध्याय के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

34. अधिनियम 6, 1935 की धारा 44 की उपधारा (क–फ) में संशोधन – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 44 की उपधारा (क–फ) 21 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

कैडर प्रणाली को समाप्त करना– अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत किसी सहकारी समिति में कार्मिकों की सामान्य कैडर प्रणाली नहीं रहेगी तथा कैडर प्रणाली तुरन्त समाप्त हो जाएगी।

35. अधिनियम 6, 1935 की धारा 45 की उपधारा (1), धारा 45 (1) (क), धारा 45 (1) (ख) में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 45 की उपधारा (1), धारा 45 (क), धारा 45 (ख) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

45. अपराध और दण्ड।–(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि– ,

(क) एक सहकारी समिति अथवा सहकारी समिति का कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाये या मिथ्या सूचना दे अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा निबन्धक को उनके द्वारा अपेक्षा किये जाने पर जानबूझकर कोई सूचना नहीं दें, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना किसी युक्तिसंगत सफाई के किसी सम्मन, अधियाचना अथवा इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत निर्गत, विधिसम्मत लिखित आदेश की अवज्ञा करें, अथवा

(ग) कोई नियोक्ता बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने कार्मिकों से कटौती गई राशि को कटौती की तिथि से चौदह दिनों के भीतर एक सहकारी समिति को भुगतान करने में असफल हो, अथवा

(घ) कोई सहकारी समिति का कोई पदाधिकारी अथवा अभिरक्षक अपने अभिरक्षा में रखनेवाली सहकारी समिति के पंजियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकद, प्रतिभूति एवं अन्य परिसम्पत्तियों का प्रभार अधिकृत व्यक्ति को सौपने में असफल हो, अथवा

(ङ) कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों अथवा पदधारियों के निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन के दौरान अथवा पश्चात् भ्रष्ट आचरण अपनाया हो।

(2) इस धारा के उपधारा–(1) के अधीन किया गया कोई अपराध एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से या 2000/–(दो हजार) रु0 तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा;

परन्तु यह कि जहाँ कोई व्यक्ति दुर्विनियोजन, कपट, न्यास–भंग, छल या ऐसे अन्य किसी कार्य जिसमें नैतिक अक्षमता अन्तर्गस्त हो, का दोषी हो, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी समिति को हानि हुई हो, तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन भी दण्डनीय होगा।

36. अधिनियम 6, 1935 की धारा 47 की उपधारा (2) में संशोधन। –झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 47 की उपधारा (2) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

(2) इस अधिनियम की धारा–48 की उपधारा (1) (ग) के अधीन अपराध को छोड़कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2, 1974) के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम का प्रत्येक अपराध संज्ञेय माना जाएगा।

37. अधिनियम 6, 1935 की धारा 66 (ख) की उपधारा (1) में संशोधन। – झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 66 की उपधारा (1) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

66. (ख)(1)सहकारी समितियों की कार्मिक नीतिः– सहकारी समितियों को अपनी उपविधियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार समिति के कार्मिकों के पदों के स्वरूप और संख्या तथा कार्मिकों की भर्त्ती की रीति अवधारित करने की स्वायत्तता होगी। इसके लिए सहकारी समिति अपनी कार्मिक नीति बना सकेगी। सहकारी समितियाँ अपनी उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति के तहत अन्य के अलावे निम्नलिखित को विहित कर सकेगीः–

(1) अर्हता, आयु और अनुभव,

(2) वेतनमान और अन्य उपलब्धियाँ,

(3) भर्त्ती की रीति,

(4) सेवा की शर्त्तें, और

(5) अपनाई जानेवाली अनुशासनिक प्रक्रिया।

38. अधिनियम 6, 1935 की धारा 66 (ख) की उपधारा (2) में संशोधन। –झारखण्ड सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा 66 की उपधारा (2) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी–

(2) उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति का उल्लंघन कर की गई नियुक्ति अवैध समझी जायेगी, मानों ऐसी नियुक्ति कभी नहीं की गई थी एवं वेतन तथा अन्य भत्तों के रूप में किये गये भुगतान की राशि धारा 40 के अन्तर्गत वसूलनीय होगी।

यह विधेयक झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 27 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 40--50--16-10-2015 ।